न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 562 सन् 2015

परशुराम चौधरी.....वादी

बनाम

सरोज देवी व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 25.10.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दिनांक– 04.03.2020 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी की ओर से एक आवेदन दाखिल कर उनका कथन है कि प्रतिवादी की ओर से एक स्टाम्प पेपर न्यायालय में दाखिल किया जाता ह। उस स्टाम्प पेपर को प्रदर्श अंकित किया जाना न्याय के लिए आवश्यक हो गया है। स्टाम्प पेपर मानवीय भूल के कारण आज न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा दाखिल किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि स्टाम्प पेपर को प्रदर्श अंकित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

वादी की ओर से दिनांक 16.12.2020 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। जिसमें उनका कथन है कि प्रतिवादी की ओर से काफी विलंब से कागजात दाखिल किया गया है। जो विधितः स्वीकृत होने योग्य नहीं है। वादी परशुराम चौधरी का साक्ष्य वादी साक्षी सं0 3 के रूप में हुआ है और उनके प्रति परीक्षण के दौरान प्रतिवादी के द्वारा कथित कागज के संबंध कोई प्रति परीक्षण नहीं किया गया है। जिससे कागजात के सच्चाई

का पता चलता। ऐसी स्थिति में उक्त कागजात को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। कथित स्टाम्प के सूक्ष्म अवलोकन करने से पता चलेगा कि स्टाम्प का कागज दिनांक 03.09.2010 को सरोज देवी प्रतिवादी के द्वारा खरीदा गया है, जबकि कथित बैनाम नविस्ते रंजीत कुमार उर्फ रणबाकुरे बनाम सरोज देवी दिनांक 27.09.2012 को तैयार किया गया कथित स्टाम्प के कागज पर परशुराम चौधरी का हस्ताक्षर नहीं है। जाल–फरेब करके स्टाम्प पर परशुराम चौधरी का जाली हस्ताक्षर बनाया गया है। इस वाद में वादी का साक्ष्य बंद हो चुका है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः उसे खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। साक्ष्य प्रस्तुतिकरण के दौरान ही प्रतिवादी की ओर से स्टाम्प पेपर चूंकि लोक दस्तावेज नहीं है। उसे लोक दस्तावेज के रूप में प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता। अतः प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे स्टाम्प की कागज को नियमानुकूल प्रदर्श अंकित करने हेतु उचित कदम उठाए। प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.03.2020 को स्वीकृत किया जाता हैं।

वाद दिनांक 10.01.2022 को प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।